(39)

<u>समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल म.प्र.</u>

PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा/2017/2021 निगरानी प्रकरण क. ....

सतीश कुमार उदय आ0 श्री मिश्रीलाल उदय
आयु 41 वर्ष, निवासी–म.नं. 217, इब्राहिमगंज
भोपाल म.प्र. ---- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

(1) म.प्र. शासन
(2) नायब तहसीलदार महोदय, गोविन्दपुरा वृत्त
जिला भोपाल म.प्र. ---- अनावेदक

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959</u>

निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय पीठासीन अधिकारी (श्री सुधाकर तिवारी) द्वारा प्रकरण कमांक 47/ए–68/2016–17 पक्षकार शासन विरूद्व सतीश कुमार उदय में पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारो पर निगरानी प्रस्तुत है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / निग. / भोपाल / भू.रा. / 2017 / 2021 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–7–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 31–5–2017 का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से सीमांकन के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति इस निष्कर्ष के साथ निरस्त की गई है कि पूर्व में किया गया सीमांकन वरिष्ठ कार्यालय के आदेशानुसार गठित टीम द्वारा किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । वैसे भी यह अतिकमण का प्रकरण है । सीमांकन की कार्यवाही पृथक कार्यवाही है, जिसे आवेदक पृथक से चुनौती दे सकता है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	